जगन्नाथ

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

सितंबर 18,2007

[एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 302/34 और धारा 326 — अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करने के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच विवाद से उसकी मौत हो गई।

सह-अभियुक्त द्वारा अभियोजन गवाहान को चोट पहुंचाई गई - धारा 302/34 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया व कठोर आजीवन कारावास का दण्ड दिया - शुद्धता - सह अभियुक्त ने मृतक की मृत्यु के लिए अभियुक्त के साथ किसी भी सामान्य इरादे को साझा नहीं किया - गवाहों को सह अभियुक्त द्वारा कारित चोटें साधारण प्रकृति की थीं। यह उसका व्यक्तिगत कार्य था - इस प्रकार, सहअभियुक्त धारा 326 के तहत दोषी था धारा 302/34 के तहत नहीं - 10 साल का कठोर कारावास अधिरोपित किया गया।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, डी और आर ने लकड़ी के टुकड़े एकत्र किए थे और अपीलार्थी और पी ने उनकी चोरी की थी जिसके परिणामस्वरूप पक्षकारों के बीच विवाद हुआ था।

यह आरोपित है कि पी ने आर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया जिसके परिणामस्वरूप बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी ने डी. पीडब्लू-2 को चोट पहुँचाई और पीडब्लू 12 घटना स्थल पर आया। अपीलार्थी ने उन पर हमला किया और वे घायल हो गए। डी ने एफ. आई. आर. दर्ज कराई। अपीलार्थी और पी पर आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध का मुकदमा चलाया गया। विचारण न्यायालय ने पी को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और अपीलार्थी को धारा 302/34 आई. पी. सी. में दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी।

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या अपीलार्थी ने आर की मृत्यु कारित करने के लिए पी के साथ कोई सामान्य इरादा साझा किया था।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

1.1 अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि झगड़ा हुआ था। पी और अपीलार्थी के बीच कोई पूर्व योजना नहीं थी। इसलिए, पी द्वारा मृतक को कारित चोट एक व्यक्तिगत कार्य था। इसी तरह, अभियोजन पक्ष के गवाहों को चोट पहुँचाना अपीलार्थी का व्यक्तिगत कार्य था।

[पैरा 12] [1101-बी, सी)

1.2 एक सामान्य आशय मौके पर ही विकसित किया जा सकता है, लेकिन न केवल विकसित किया जाना चाहिए बल्कि अन्य अभियुक्तों के साथ भी साझा किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि यह घटना अचानक हुई। अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से चोरी का कार्य पूरा हो गया था। वे लकड़ी ले जा रहे थे। उनके बाद आर-मृतक और पीडब्लू-11 आए। उन्हें लकड़ी छीनने से रोका गया होगा क्योंकि लकड़ी उनके कब्जे की थी। उस समय मृतक पर पी और डी. एस. द्वारा हमला किया जाना आरोपित है। इस प्रकार की स्थिति में जहां अभियुक्त व्यक्तियों ने घटना से पहले हुए विवाद को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई की थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि पी और अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु का कारण बनने का एक सामान्य आशय विकसित किया था। यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों पीडब्लू 2,11 और 12 के बयानों पर विश्वास किया जाए, तो उन्होंने लगभग एक ही समय में कार्रवाई की। उच्च न्यायालय ने पी को आई. पी.

सी. की धारा 302 के तहत भी दोषी ठहराया है और कहा है कि यह उसका व्यक्तिगत कार्य था।

[पैरा 13 और 14] [1101-डी, ई, एफ)

1.3 पीडब्लू 2 और पीडब्लू 12 के कारित होने वाली चोटें भी साधारण प्रकृति की थीं। अपीलार्थी द्वारा कारित चोटों की प्रकृति को देखते हुए, उसे धारा 302/34 आईपीसी के तहत अपराध करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, अपीलार्थी धारा 326 आईपीसी के तहत अपराध करने का दोषी है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 10 साल के कठोर दंड का अधिरोपण न्याय के उद्देश्यों को पूरित करेगा।

| पैरा 20 और 21] [1104-ए, बी]

नूर @नूरधीन बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 8 स्केल 665 और लाला राम बनाम राजस्थान राज्य, (2007) 8 स्केल 621, संदर्भित।

आपराधिक अपील न्याय निर्णय - आपराधिक अपील सं. 1310/2005

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आपराधिक अपील नं. 728/1993 निर्णय व आदेश दिनांक 12.05.2004 से

अपीलार्थी की ओर से बलराज दीवान।
प्रतिवादी के लिए विभा दत्ता मखीजा।

निर्णय द्वारा न्यायमूर्ति श्री एस.बी. सिन्हा,

1. अपीलार्थी व प्रभुदयाल के विरुद्ध धारा 302/34 भा.द.सं. के तहत प्रकरण का विचारण हुआ था। ओबेयदुल्लागंज पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति धूमसिंह (पीडब्लू-11) द्वारा 16.09.1986 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने और रामसिंह (मृतक) ने अपने घर के पास एक नदी के किनारे से लकड़ी के टुकड़े एकत्र किए थे, लेकिन अपीलकर्ता और प्रभुदयाल, वहां आए और चोरी कर ली। उनके बीच झगड़ा हुआ। जब झगड़ा चल रहा था, तब प्रभुदयाल ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया। जिससे मृतक के चोट लगी। अभियोजन पक्ष के दो अन्य गवाह नवल सिंह (पीडब्लू-2) और हुकुमचंद (पीडब्लू-12) घटना स्थल पर पहुंचे। उन पर भी कथित रूप से हमला किया गया और परिणामस्वरूप उन्हें भी चोटें पहुंची। मृतक को पुलिस स्टेशन ले जाते समय रास्ते में उसने अंतिम सांस ली।

2. विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष, अभियुक्त ने एक प्रतिरक्षा उठायी कि मृतक रामसिंह और धूमसिंह (पीडब्लू-11) कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभुदयाल के घर आए और उनकी पत्नी कस्तूरीबाई, जिसने खुद को डीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षित कराया, से उन्हें चिकन परोसने के लिए कहा और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसकी शील भंग करने की कोशिश की; इस प्रक्रिया में उसके चोटें आईं। इस संबंध में

आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह घटना उन्हीं तथ्यों के कारण घटित होना आरोपित है।

3. विद्वान विचारण न्यायाधीश उक्त गवाहों की साक्ष्य पर इस आधार पर विश्वास करते हुए कि वे घायल व्यक्ति हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन गवाहान की साक्ष्य चूंकि मेडिकल साक्ष्य से समर्थित है, अतः अभियुक्तगण को धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाना चाहिए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियुक्त द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध दायर की गयी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

4. हमारे सामने उठाए गए प्रश्नों को शुरू करने से पहले, यह विचार योग्य है कि अपीलार्थी और उक्त प्रभुदयाल के साथ, एक धन सिंह पर भी मुकदमा चलाया गया। हालांकि, उसे बरी कर दिया गया। उक्त फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है।

5. अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राय दीः

> " अभियोजन पक्ष के तीन चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य से, जिनकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा की गई है, यह पूरी तरह से साबित होता है कि अभियुक्त प्रभुदयाल ने रामसिंह के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कारित की। यह

एक गम्भीर चोट थी इसलिए आरोपित प्रभुदयाल को रामसिंह की साशय हत्या का दोषी माना जाना चाहिए।"

जहाँ तक अपीलार्थी जगन्नाथ का संबंध है, उसे धारा 34 आई. पी. सी. की सहायता से विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।

धूम सिंह (पीडब्लू 11), हुकुमचंद (पी. डब्ल्यू. 12) और नवल सिंह (पी. डब्ल्यू. 2) की साक्ष्य से पाया गया कि जगन्नाथ ने धूमसिंह व नवलसिंह के चोटें कारित कीं। आरोपित जगन्नाथ कुल्हाड़ी से लैस था। वह आरोपी प्रभुदयाल के साथ आया था।

उसने सामान्य आशय के अग्रसरण में धूम सिंह (P.W.11) और नवल सिंह (P. W. 2) को घायल कर दिया। इन तथ्यों से यह पता चलता है कि उसने अभियुक्त प्रभुदयाल के साथ रामसिंह की मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय गठित किया था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी जगन्नाथ को धारा 302/34 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध ठहराया है।

6. श्री बलराज दीवान, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के मामले और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को मृतक रामसिंह की हत्या के लिए प्रभुदयाल के साथ सामान्य आशय रखना नहीं माना जा सकता।

7. यद्यपि सुश्री विभा दत्ता मखीजा, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

8. इसलिए, एक संक्षिप्त प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है कि क्या अपीलार्थी का रामसिंह की मृत्यु का कारण बनने में प्रभुदयाल के साथ कोई सामान्य आशय था।

9. उपरोक्त उद्देश्य के लिए, हम अभियोजन पक्ष के गवाह और विशेष रूप से नवल सिंह (पीडब्लू-2), धूम सिंह (पीडब्लू-11) और हुकुमचंद (पीडब्लू-12) की साक्ष्य को स्वीकार कर सकते हैं। इन गवाहों के अनुसार, दोनों भाइयों ने बरखुखर नदी में बाढ़ के कारण बहने वाली लकड़ी के टुकड़े एकत्र किए जिसे अभियुक्तगण ले गये थे। उक्त गवाहों के अनुसार उन्होंने चोरी की थी। वे उसे उनके कब्जे से वापस लेना चाहते थे। उन्होंने अभियुक्तगण को उसे ले जाने से रोक दिया था, जिसके बाद प्रभुदयाल ने रामसिंह को सिर पर कुल्हाड़ी के प्रहार से मारा। अपीलार्थी द्वारा पी.ड. 11 को उसकी पीठ पर मारना आरोपित है।

10. जब घटना चल रही थी, तब नवल सिंह (पीडब्लू-2) घटनास्थल पर आया। पीडब्लू-2 अपने खेत में था जो घटना स्थल से लगभग एक फरलोंग की दूरी पर था। उनके अनुसार, मृतक पर तीनों आरोपी कुल्हाड़ी और भाले से हमला कर रहे थे जो उनके हाथों में थे। प्रभुदयाल के हस्तक्षेप से नवल सिंह के सिर के बांये हिस्से पर चोट आना आरोपित है।

यह ध्यान रखने योग्य है कि पी.ड 11 ने भी मृतक रामसिंह की हद तक अपीलार्थी का कोई प्रकट कृत्य होना नहीं बताया। पीडब्लू-11 ने भी इसमें अपीलार्थी की ओर से किसी भी स्पष्ट कार्य की साक्ष्य नहीं दी।

11. हुकुमचंद (पीडब्लू-12) ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक और पीडब्लू-11 द्वारा एकत्र की गई लकड़ी को आरोपी ले गए और उन्होंने उनका पीछा किया।

12. इसलिए, यह स्पष्ट है कि झगड़ा हुआ था। प्रभुदयाल व अपीलार्थी के बीच कोई पूर्व योजना नहीं थी, मौके पर विवाद हुआ था। इसलिए, हमारी राय में, प्रभुदयाल द्वारा मृतक को दी गई चोट एक व्यक्तिगत कार्य था। इसी तरह, अपीलार्थी द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को चोट पहुँचाना उसका व्यक्तिगत कार्य था। इस सवाल को प्रारम्भ करते हुए कि प्रभुदयाल का अपीलार्थी के साथ कोई सामान्य आशय था या नहीं, हमारी राय में, जिस पृष्ठभूमि में घटना हुई थी, उस पर विचार किया जाना चाहिए।

13. एक सामान्य आशय मौके पर विकसित किया जा सकता है, लेकिन इसे न केवल विकसित किया जाना चाहिए बल्कि अन्य अभियुक्तों के साथ भी साझा किया जाना चाहिए।

14. स्वीकृत रूप से यह घटना अचानक हुई। अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से चोरी पूरी हो गई थी। वे लकड़ी ले जा रहे थे। उनके बाद मृतक और पीडब्लू-11 आए। उन्हें लकड़ी छीनने से रोका गया होगा क्योंकि वे उनके

कब्जे में थीं। कहा जाता है कि उस समय मृतक पर प्रभुदयाल और धन सिंह ने हमला किया था। इस प्रकार की स्थिति में जहां अभियुक्त व्यक्तियों ने घटना से पहले हुए झगड़ों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्य किया था, हमारी राय में, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि प्रभुदयाल और अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु का कारण बनने का एक सामान्य आशय विकसित किया। अगर अभियोजन पक्ष के गवाहों पीडब्लू 2,11 और 12 के बयानों पर विश्वास किया जाए, तो उन्होंने लगभग एक ही समय में काम किया। यह उल्लेखनीय है कि तीसरे आरोपी धन सिंह को बरी कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध राज्य ने कोई अपील नहीं की है। उच्च न्यायालय ने प्रभुदयाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत भी दोषी ठहराया है और कहा है कि यह उसका व्यक्तिगत कार्य था। इस स्थिति में, हमारी राय है कि सुश्री मखीजा के इस तर्क को बरकरार रखना मुश्किल है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी है।

15. नूर @नूरधीन बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 8 स्केल 665, [2007] 9 एस. सी. आर. में विनिश्चित किया गया है कि -

> "13. एक सामान्य आशय मौके पर ही विकसित किया जा सकता है। हालांकि एक व्यक्ति को एक सामान्य उद्देश्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। स्थिति को देखते हुए, उसे एक सामान्य आशय के लिए दोषी ठहराया जा सकता

है, लेकिन इस तरह के सामान्य आशय को दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए। यह भी विनिश्चित किया गया कि -

"16. हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि अपीलार्थी के अतिरिक्त सभी अभियुक्तगण विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा बरी कर दिए गए हैं। राज्य ने इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। इसलिए अभियोजन पक्ष यह नहीं कह सकता कि अपीलार्थी का किसी के साथ कोई सामान्य आशय था। किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य आशय का गठन किया हो। यदि अन्य व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका व उनके नाम ज्ञात हैं तो अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि कराने में सफल हो सकता है। अभियुक्त की विशिष्ट प्रत्यक्ष भूमिका न केवल ज्ञात होनी चाहिए, बल्कि साबित भी होनी चाहिए। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट ज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी।"

16. लाला राम बनाम राजस्थान राज्य, (2007) 8 स्केल 621 में इस न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि -

"7. धारा 34 को किसी आपराधिक कार्य में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। यह धारा केवल

साक्ष्य का नियम है और वास्तविक अपराध का गठन नहीं करती है। इस धारा का विशिष्ट लक्षण कार्य में भागीदारी का तत्व है। यदि सामान्य आशय के अग्रसरण में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो एक व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए धारा 34 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व हो जाता है। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष सबूत सामान्यत: अनुपलब्ध होता है, इस कारण सामान्य आशय का अनुमान साबित तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर लगाया जा सकता है।

यदि अभियुक्तगण धारा 34 के अंतर्गत आरोपित हैं, तो सामान्य आशय का आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के जरिये यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने की पूर्व योजना या मस्तिष्क का पूर्व मिलन किया गया था, चाहे वह पूर्व नियोजित हो अथवा उसी क्षण उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध घटित होने से पूर्व होना चाहिए। इस धारा के मुख्य घटक यह हैं कि यदि दो या अधिक व्यक्ति साशय संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो विधिक स्थिति वही रहेगी

जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति ने वह कार्य व्यक्तिगत रूप से किया हो।

धारा 34 के प्रावधानों के तहत उत्तरदायित्व का मर्म सामान्य आशय में तलाश किया जाना चाहिए, जिसके अग्रसरण में अभियुक्त‍ द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया हो। जब धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धान्त को लागू करते हुए अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 में दोषसिद्ध किया जाता है, तो विधि की दृष्टि में इसका यह अर्थ होगा कि जिस कृत्य के द्वारा मृतक की मृत्यु कारित हुई उस कृत्य के लिए अभियुक्त इस प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य अकेले उसके द्वारा कारित किया गया हो। इस प्रावधान का उद्देश्य उन मामलों में अपराध साबित करना है जहां यह अंतर करना मुश्किल हो कि सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी दल के सदस्यों में से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्या कृत्य किया गया व प्रत्येक की क्या भूमिका रही। जैसा कि पुल्ला रेड्डी व अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य एआईआर (1993)एससी 1899 में विनिश्चित किया गया कि धारा 34 उस स्थिति में भी लागू होगी यदि उस विशिष्ट अभियुक्त द्वारा किसी को कोई चोट न भी

पहुंचाई गई हो। धारा 34 लागू करने के लिए अभियुक्त का प्रत्यक्ष कृत्य साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।"

17. डॉ. जे. पी. नायक (पीडब्लू-5) ने हुकुमचंद की जांच की और उसके शरीर पर खंरोंच पाया और एक नीलगू 2 x 1/4" छाती के बाईं ओर तथा बाएं निप्पल के ठीक ऊपर और एक चोट के साथ 2 x 1/2 " नीलगू भी पाया। खंरोच 1x1/4" छाती के बीच के हिस्से में पाया गया और उस पर रक्त का थक्का जमा था।

18. डॉ. वी. के. श्रीवास्तव (पीडब्लू-8) ने नवल सिंह की जाँच की और पाया कि अर्धचंद्र आकार का घाव उनके शरीर पर उनके सिर के बाईं ओर 1/2 "x 1/2" था, जो कि हड्डी की गहराई तक था। डॉ. श्रीवास्तव के अनुसार, यह चोट एक कठोर और कुंद हथियार से कारित थी।

19. डॉ. श्रीवास्तव ने धूमसिंह की भी जाँच की और निम्नलिखित चोटें पाईं -

"(1) छाती के पीछे की ओर नक्काशीदार आकार में 3x1/6"x1/6" कटा फटा घाव।

(2) बाएं हाथ की कलाई पर कटा हुआ घाव 1/3 "x 1/3" x 1/3"

(3) बाएँ हाथ की कलाई पर 1/4 "x 1/4" नीलगू चोट

डॉ. श्रीवास्तव के अनुसार, ये चोटें साधारण प्रकृति की थीं।"

20. नवल सिंह और हुकुमचंद को भी साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुईं। अपीलार्थी द्वारा कारित चोटों की प्रकृति को देखते हुए, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत अपराध का दोषी है, न कि धारा 302/34 के तहत।

21. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि उपरोक्त प्रावधान के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा का अधिरोपण न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। अपील आंशिक रूप से उपरोक्त उल्लिखित सीमा तक स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी नुसरत बानो, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।